[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 9/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.)

नई दिल्ली, , 2017

सा.का.नि. ..... (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 32 (ड.) के साथ पठित धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (मामलों का निपटान) नियम, 2007, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (मामलों का निपटान) नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में:-

(i) नियम 2 के, खंड (ख) में, "प्रपत्र एससी (इ)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्रपत्र एससी (इ)-2" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उक्त नियमों में नियम 3 के;-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) धारा 32(ड.) की उपधारा (5) के अन्तर्गत कोई भी आवेदन पत्र प्रपत्र एससी (इ)-2 में किया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (3) के, "प्रपत्र एससी (इ)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्रपत्र एससी (इ)-2", यथास्थिति, शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. मामलों के निपटान के लिए आवेदन में सूचना का प्रकटीकरण – निपटान आयोग, उक्त धारा 32च की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त से रिपोर्ट मंगाते समय, नियम 3 के उप-नियम (1) में या उप-नियम (1क), जैसा भी मामला हो, में निर्देशित आवेदन पत्र की प्रति के साथ संलग्न सभी उपाबंधों और विवरणों तथा अन्य दस्तावेजों, जो ऐसे उपाबंधों के साथ संलग्न हों, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को अग्रेषित करेगा।"

[फाइल सं. 275/36/2016-सीएक्स.8ए(पीटी.I]

( )

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 394(अ), तारीख 28 मई, 2007, अधिसूचना संख्यांक 28/2007-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी), तारीख 28 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

फार्म सं. एससी (ई)-2

[केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मामलों का निपटान नियमावली) नियमावली, 2007 के नियम 3 के उप नियम (1 क) के अन्तर्गत]

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग के समक्ष

_____ स्थित बेंच _____

अधिनियम की धारा 32ड. की उपधारा (5) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के केस के समाधान के लिए आवेदन फार्म

1.	व्यक्ति का पूरा नाम	
2.	(i) व्यक्ति का डाक पता (ii) व्यक्ति का ई-मेल पता, यदि कोई हो	
3.	(i) संप्रेषण के लिए पता (ii) दूरभाष संख्या	
4.	(i) स्थायी खाता संख्या (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण (यदि कोई है) (iii) स्थिति	
5.	(i) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (ii) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का डाक पता	
6.	आवेदक को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे (क) कारण बताओ नोटिस संख्या तथा तारीख (ख) नोटिस में विवाद की अवधि (ग) नोटिस में आवेदक से मांगा गया शुल्क (अधिनियम की धारा 32ड. की उपधारा (1) देखें) (रूपए में) (घ) कारण बताओ नोटिस में नोटिस देने वाले का नाम जिससे शुल्क की मांग की गई है। (ड.) क्या उस आवेदक का केस जिससे शुल्क की मांग की गई है , को आयोग द्वारा निपटान किया गया है अथवा आवेदक का आवेदन आयोग के समक्ष लंबित रहा है। यदि हां , तो कृपया निपटान के लिए उस आवेदन की स्थिति तथा ब्यौरे प्रदान करें। (च) न्याय निर्णयन प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी व्यक्ति का नोटिस न्याय निर्णयन के लिएए लंबित रहा है।	
7.	मामले के संक्षित तथ्य तथा निपटान किये जाने वाले मामलों के ब्यौरे	

व्यक्ति का हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

मैं…… सुपुत्र/सुपुत्री ……..... निवासी..... सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि मैं ..... क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूं तथा मैं इसे सत्यापित करने में सक्षम हूं।

यह कि इस आवेदन की विषय वस्तु सही है तथा यह कि समझौता आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवाकर पर लागू किए गए उत्पादशुल्क अधिनियम के अध्याय V के उपबंधों के निपटान हेतु मैंने कोई आवेदन दायर नहीं किया है तथा यह भी कि इस मामले के तथ्यों के संगत कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुबंध मूल की असली प्रतियां हैं तथा वित्तीय संव्यवहार दर्शाने वाली तालिकाएं सही हैं तथा मेरे द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।

यह कि जिस मामले के संबंध में समाधान की मांग की गई है, उसके संबंध में कोई कार्यवाही आयुक्त (अपील), सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित नहीं है अथवा उक्त अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों द्वारा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को वापिस नहीं भेजी गई हैं।

आज ……..... (स्थान लिखें) में ...…… (माह एवं वर्ष लिखें) के ..... ……. दिन सत्यापित।

अभिसाक्षी

टिप्पण :

1. आवेदन की फीस प्राधिकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा कराई जानी चाहिए तथा चालान की तृतीय प्रति आवेदन के साथ समझौता आयोग को भेजी जाएं समझौता आयोग चेक , ड्राफ्ट, हुंडियां अथवा अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।
2. कृपया बताएं क्या व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म, व्यष्टियों का संघ आदि है।

<u>अनुबंध</u>

अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवाकर पर लागू की गई उत्पादशुल्क अधिनियम की धारा 32 (ड़) की उपधारा (5) के अंतर्गत किए गए आवेदन के मद 7 में संदर्भित ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण।

1. आवेदक द्वारा मांगे गए समझौता निबंधन सहित निपटाए जाने वाले मामलों से संबंधित तथ्यों का संपूर्ण एवं असली प्रकटन।

हस्ताक्षर

स्थान :
तिथि :